

परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

अंक पत्र

डी0 एल0 एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम बैच-2018 परीक्षा वर्ष-2021

चतुर्थ सेमेस्टर

कम्प्यूटर आई0 डी0 19101817

प्रमाण पत्र क्रमांक 15440936

क्रमांक 21028996

अनुक्रमांक 2134401163

प्रशिक्षण संस्थान का नाम - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 44-JAUNPUR

प्रशिक्षण विद्यालय का नाम 440091-KALAWATI DEVI COLLEGE OF EDUCATION BIJADHARMAU MUNGRA BADSHAHPUR JAUNPUR

श्री/श्रीमती/कुमारी KM SUMAN YADAV

पिता का नाम HRIDESH KUMAR

माता का नाम URMILA DEVI

डी0 एल0 एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2021 संस्थागत चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षार्थी के रूप में निम्नलिखित अंक व ग्रेड प्राप्त किये हैं :

विषय	पूर्णांक		उत्तीर्णांक		प्राप्तांक			
	लिखित	आंतरिक	लिखित	आंतरिक	लिखित	ग्रेड	आंतरिक	ग्रेड
1.आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन-लेखन क्षमता का विकास	50	50	25	30	30	C	49	A
2.शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन	50	50	25	30	35	B	48	A
3.विज्ञान	25	25	12	15	17	B	25	A
4.गणित	25	25	12	15	12	C	24	A
5.सामाजिक अध्ययन	50	50	25	30	34	B	49	A
6.हिंदी	25	25	12	15	19	B	24	A
7.अंग्रेजी	25	25	12	15	16	B	24	A
8.शांति शिक्षा एवं सतत विकास	25	25	12	15	16	B	25	A
9.शारीरिक शिक्षा,स्वास्थ्य,कला एवं संगीत	-	50	-	30	-	-	50	A
10.इंटर्नशिप								
भाग-क वाह्य अंक	100	100	50	60	099	A	099	A
भाग-ख आंतरिक अंक								
चतुर्थ सेमेस्टर का योग	375	425	-	-	278	-	417	-
प्रथम सेमेस्टर का योग	375	425	-	-	299	-	418	-
द्वितीय सेमेस्टर का योग	350	450	-	-	280	-	441	-
तृतीय सेमेस्टर का योग	375	425	-	-	279	-	421	-
महायोग	1475	1725	-	-	1136	B	1697	A
सम्पूर्ण परीक्षाफल:	PASS							

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :-

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
44-JAUNPUR

- निर्देश -

- यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तरपुस्तिका का अंकानुसन्धान (स्कूटनी) चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर सम्बंधित डायट में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रशिक्षु अधिकतम दो विषयों की ही अंकानुसन्धान (स्कूटनी) करा सकता है।
 - प्रशिक्षु अंकानुसन्धान (स्कूटनी) शुल्क 100.00 ₹0 (एक सौ रुपये), प्रति प्रश्नपत्र सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी 30 प्र0, प्रयागराज के पक्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत, बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
 - किसी भी विषय की उत्तर-पुस्तिका की अंकानुसन्धान (स्कूटनी) केवल एक बार ही की जाएगी।
 - प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन में अंकानुसन्धान (स्कूटनी) का प्राविधान नहीं होगा।
- परीक्षा अवधि में मेडिकल-अवकाश लेने की दशा में प्रशिक्षु को अनुत्तीर्ण समझा जायेगा और उसे नियमानुसार पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।
- यदि प्रशिक्षु अधिकतम, किन्हीं दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की

जाएगी, यदि दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा पूर्ण करना होगा।

यदि प्रशिक्षु अधिकतम, दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं आन्तरिक मूल्यांकन में डी ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन विषयों में आने वाले अगले सेमेस्टर में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज